राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141–2399335, 2399336 ई–मेल – ccosjerajasthan@gmail.com

राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी में कार्यक्रम अधिकारी एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

राज्य सरकार द्वारा राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना एवं बाल संरक्षण से जुडे कानूनों में मुख्यतः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वतंत्र निकाय के रूप में दिनांक 28 फरवरी 2011 को राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की स्थापना की गयी है। उक्त सोसायटी का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्वदेशी दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने व अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के विनियमन, राज्य स्तर पर प्रवर्तेकता, पालन पोषण देखरेख सहित परिवार आधारित गैर संस्थागत कार्यक्रम के प्रोत्साहन, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तर पर "राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा)" की स्थापना की गई है।

राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समेकित बाल संरक्षण योजनातर्गत राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी में 01–01 कार्यक्रम अधिकारी के संविदा रिक्त पद पर निर्धारित टी.ओ.आर. के अनुसार अपेक्षित अर्हताएं/योग्यता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये गये है।

कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार है–

1. आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।
2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो या राज्य में कम से कम 03 वर्ष से निवास कर रहा हो।
3. समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या विधि स्नातक।
4. बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।
5. कम्प्यूटर (एम.एस.ऑफिस, इंटरनेट, बेसिक) का न्यूनतम ज्ञान हो।
6. अंग्रेजी, हिन्दी व स्थानीय भाषा में बोलने व लिखने का ज्ञान हो।

Scanned by CamScanner

नियम एवं शर्तें–

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 15 जुलाई, 2019 तक कार्यालय, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, 20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, के. एल. सैनी स्टेडियम के पास, मानसरोवर, जयपुर में कार्यालय समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। आवेदन के लिए सामान्य दिशा–निर्देश एवं आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट के लिंक http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/Default.aspx?PageID=1201 से प्राप्त किया जा सकता है।
2. लिफाफे पर "कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (संविदा) पद/"कार्यक्रम अधिकारी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (संविदा) पद के लिए आवेदन" अवश्य लिखें।
3. आवेदक द्वारा राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (संविदा) पद/कार्यक्रम अधिकारी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (संविदा) पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जायेगा।
4. निर्धारित योग्यता, अनुभव एवं मापदण्डों की पूर्ति करने वाले आवेदक का चयन राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंषा पर किया जायेगा।
5. आवेदक के चयन करने के संबंध में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान का होगा।
6. उक्त पद हेतु अनुबंध अस्थाई रूप से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक के लिए होंगे, जोकि वार्षिक स्तर पर अनुबंधित किये जायेंगे। कार्मिक द्वारा संतोषजनक कार्य किये जाने की स्थिति में अनुबंध को बढ़ाया जा सकेगा।
7. नियुक्त कार्मिक की सेवायें संतोषप्रद नहीं होने अथवा किसी अनियमितता पाये जाने की स्थिति में राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
8. उक्त पदों पर सेवायें पूर्णतः संविदा आधार पर अनुबन्धित की जायेगी।
9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा निर्धारित टी.ओ.आर. के अनुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा।
10. कार्मिक को संविदा सेवा के पेटे समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन के रूप में राशि रूपये 26,250/– प्रतिमाह देय होगा। कार्यक्रम अधिकारी के यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्ते का भुगतान वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा।
11. निर्धारित तिथि के पश्चात अथवा अपूर्ण प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः–

1. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान के क्रमांक 10789 दिनांक 21.06.2019 द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 3059 दिनांक 23.04.2018 से राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के अध्यधीन 02

Scanned by CamScanner

कार्यकम अधिकारी के संविदा रिक्त पदों पर आमंत्रित आवेदन एवं लिये गये साक्षात्कार निरस्त किये जाते है। पूर्व में जिन व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया था, वे नये सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

(निष्काम दिवाकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

Scanned by CamScanner

सेवामें,

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

आवेदक का नवीनतम फोटो

विषयः– राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी/राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी में कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) पद हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति कमांक ..... दिनांक..... के क्रम में राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी/राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी में कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) के पद पर मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है:–

1.	**आवेदक का नाम**	
2.	**पिता/पति का नाम**	
3.	**जन्म तिथि**	
4.	**निवास का पूर्ण पता (स्थाई एवं वर्तमान)**	
5.	**ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर**	
6.	**वर्तमान व्यवसाय/कार्य**	
7.	**आवेदित पद का नाम** (स्पष्ट उल्लेख करें कि राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के कार्यक्रम अधिकारी अथवा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) पद के लिए आवेदन किया गया है।)	
8.	**शैक्षणिक अर्हता** (पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यताओं/ डिग्री/ डिप्लोमा/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)	

Scanned by CamScanner

9.	आवेदनकर्ता द्वारा बच्चों के कल्याण संबंधी धारित अनुभव का विवरण	
10.	क्या आवेदक का मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है? (उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)	

आवश्यक स्वप्रमाणित संलग्नकों का विवरण –

1. **जन्मतिथि प्रमाण** हेतु – 10 वीं की अंकतालिका संलग्न करे।
2. **आवेदक की फोटो** – आवेदन पत्र में आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।
3. **शैक्षणिक योग्यता प्रमाण** हेतु – समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की स्वसत्यापित प्रति।
4. **कार्यानुभव** प्रमाण हेतु – संबंधित संस्थान/एजेन्सी द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की प्रति एवं विभिन्न उत्कृष्ठ सेवा से संबंधित पदक/प्रमाण पत्र आदि की प्रति।
5. **निवास के पते की पुष्टि हेतु** – अपने पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें जिसमें आपके निवास का सही पता अंकित हो।
6. **चरित्र सत्यापन** प्रमाण हेतु – पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला ऑनलाईन (On line) नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. **शपथ पत्र** हेतु – नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न करें।

नोटः इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप अथवा अपूर्ण भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होगें।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गयी है।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र श्री ..... आयु ..... जाति ..... निवास ..... जिला ..... राज्य ....., शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूँ:–

1. यह कि मैं ..... जिला .....राज्य ..... पुलिस थाना ..... के पते पर निवास करता हूँ।

2. यह कि मेरे विरूद्ध न्यायालय/थाने में किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज/लंबित नहीं है।

3. यह कि मुझे आज तक किसी भी प्रकार के अपराध में दोषसिद्धि नहीं हुई है।

4. यह कि मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य/बाल उत्पीडन/बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित नहीं रहा हूँ।

5. यह कि मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का मानव अधिकार/बाल अधिकारों के अतिक्रमण किये जाने का रिकार्ड नहीं है।

6. यह कि मैं वर्तमान में किसी भी प्रकार के बाल देखरेख संस्थान के प्रबंधन/संचालन नहीं कर रहा हूँ।

7. यह कि मैं आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं हूँ।

8. यह कि मैं किसी भी राजनैतिक दल की पदाधिकारी नहीं हूँ और ना ही पूर्व में भी किसी राजनैतिक दल की पदाधिकारी रहा हूँ।

ह. शपथ गृहता

जयपुर दिनांकः

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ गृहता सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 01 से 08 तक मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। ईश्वर मेरी मदद करें।

जयपुर दिनांकः

ह. शपथ गृहता

Scanned by CamScanner

टी.ओ.आर.
कार्यक्रम अधिकारी (1)
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

परिचय

भारत सरकार द्वारा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को एक छत के नीचे लाया जाकर सरकार–स्वयंसेवी संस्था की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2009 से "समेकित बाल संरक्षण योजना" लागू की है। योजना के कियान्वयन के माध्यम से विषम परिस्थितियों में मौजूद बच्चों संरक्षणात्मक वातावरण उपलब्ध कराते हुए बाल सरंक्षण हेतु मौजूद व्यवस्था को सुदृढ करना, बाल संरक्षण का डेटा संधारित करना, बाल संरक्षण को परिवार, समुदाय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य में यह समेकित बाल संरक्षण योजना वर्ष 2010 से लागू की गई है। योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की स्थापना की गई है। सोसायटी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप क्रमशः प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है।

उद्देश्य

राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के प्रभावी संचालन हेतु तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्तियों/विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता है। इसें दृष्टिगत रखते हुए सोसायटी में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभवी व्यक्ति की संविदा पर सेवाएं ली जानी है। उक्त परिपेक्ष्य में सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सीधे अनुबंध पर पूर्णकालीन सेवा हेतु अस्थाई रूप से संविदा पर एक कार्यक्रम अधिकारी हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

कार्यः–

निदेशक, आई.सी.पी.एस., राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के मार्गदर्शन में इस अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगेः–

1. समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के निर्धारित कार्यों के कियान्वयन में सतत् सहयोग उपलब्ध कराना।
2. राज्य में बाल संरक्षण से जुडे कानूनों, योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पर्यवेक्षण।
3. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, विधि से संघर्षरत बच्चों से जुडे विभिन्न विषयों के मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अन्य घटकों के साथ समन्वय स्थापित करना।
4. उक्त श्रेणी के बच्चों हेतु जिला बाल संरक्षण इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बाल संरक्षण सेवाओं के कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी संबंधी कार्य करना।

Scanned by CamScanner

5. उक्त श्रेणी के बच्चों हेतु संचालित राजकीय/गैर राजकीय गृहों में न्यूनतम मापदण्ड तथा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना की स्थिति का आंकलन तथा प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करना।
6. उक्त श्रेणी के बच्चों का चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम पर डेटा संधारण सुनिश्चित करना।
7. सोसायटी को तकनीकी ज्ञान के माध्यम से योजनान्तर्गत कार्यरत विभिन्न घटकों के क्षमतावर्धन की आवश्यकताओं का आंकलन कर आवश्यक क्षमतावर्धन/प्रशिक्षण/आमुखीकरण करना।
8. बाल संरक्षण से जुडे विषयों पर विभिन्न राजकीय विभाग/संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
9. बाल संरक्षण पर आई.ई.सी. सामग्री की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्य–योजना निर्माण कर कियान्वित करना।
10. बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा–निर्देश, परिपत्र एवं कार्य–योजना का निर्माण कर जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से उनका कियान्वयन सुनिश्चित करना।
11. बाल संरक्षण कार्यक्रमों के कियान्वयन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन हेतु आवश्यक टूल्स तैयार करना।
12. बाल संरक्षण पर राज्य में मौजूदा बेहतरीन कार्यों का दस्तावेजीकरण करना तथा अन्य जिलों में साझा करना।
13. योजना के कियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से समन्वय स्थापित करना।
14. योजना एवं सोसायटी के कार्यों के संबंध में आवश्यक बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
15. उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा आवंटित कार्यों का निष्पादन करना।

अपेक्षित परिणाम

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपनिदेशक, आई.सी.पी.एस., राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के मार्गदर्शन में उक्त निर्धारित कार्यों निष्पादन के लिए वार्षिक कार्य–योजना बनाई जायेगी, जिसकी 6 माह में स्तर समीक्षा की जायेगी। कार्यक्रम अधिकारी के कार्यों का आंकलन उक्त कार्य योजना के आधार पर ही किया जायेगा।

योग्यता एवं अनुभव

1. समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या विधि स्नातक।
2. बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
3. अंग्रेजी, हिन्दी तथा स्थानीय भाषा में बोलने एवं लिखने का ज्ञान हो।
4. कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान (एम.एस. ऑफिस, इंटरनेट, बेसिक) हो।
5. आवेदन राजस्थान का मूल निवासी हों या राज्य में कम से कम तीन वर्ष से निवास कर रहा हो।
6. आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।

Scanned by CamScanner

अनुबंध की प्रकृति एवं समयावधि

कार्यक्रम अधिकारी की पूर्णकालीन सेवाएं सीधे अनुबंध पर अस्थाई रूप से संविदा पर 3 वर्ष के लिए ली जायेगी, परन्तु इस संबंध में वार्षिक स्तर पर अनुबंध किया जायेगा, जो कार्य के संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बढाया जायेगा।

रिपोर्टिंग

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह में किये गये कार्य की रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रस्तुत की जायेगी।

मानदेय एवं भुगतान शर्ते

कार्यक्रम अधिकारी को उसकी सेवाओं के पेटे मासिक स्तर पर एक मुस्त राशि रूपये 26,250/– का भुगतान किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी के यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्ते का भुगतान वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार किया जा जायेगा।

Scanned by CamScanner

Terms of Reference (ToR)

Program Officer

[redacted]n State Child Protection Society (RSCPS), Rajasthan

I. Background

The Integrated Child Protection Scheme (ICPS) is a centrally sponsored scheme aimed at building a protective environment for children in difficult circumstances, as well as other vulnerable children, through Government-Civil Society Partnership. ICPS brings together multiple existing child protection schemes of the Ministry under one comprehensive umbrella, and integrates additional interventions for protecting children and preventing harm. ICPS, therefore, would institutionalize essential services and strengthen structures, enhance capacities at all levels, create database and knowledge base for child protection services, strengthen child protection at family and community level, ensure appropriate inter-sectoral response at all levels.

To implement ICPS in Rajasthan, a Rajasthan State Child Protection Society (RSCPS) has been set up in Rajasthan. The RSCPS is headed by the Principal Secretary of Department for Child Rights in the State and is staffed by the State government officials. The RSCPS is responsible for implementation of this ICPS scheme and all child protection related programs in Rajasthan in line with the approved ICPS of Govt. of India.

The Chief Executive Officer (Director, Department for Child Rights) Rajasthan State Child Protection Society seeks to hire one Program Officer. RSCPS having expertise and experience in the key technical areas to provide technical leadership and management support in the implementation of the ICPS.

II. Summary of Assignment

A Program Officer will be hired on contractual basis, to support the RSCPS in coordination of all child protection activities pertaining to children in need of care and protection and juvenile in conflict with law by the Rajasthan State Child Protection Society. He/she shall function under the overall supervision of the Deputy Director (ICPS), RSCPS.

III. Detailed Scope of Work

Specific tasks of the Program Officer will, inter alia, include:

1- Provide all necessary support to the Chief Executive Officer, Rajasthan State Child Protection Society in rolling out funds for implementing programs and services for children in need of care and protection and juveniles in conflict with law at state level;

2- Provide technical leadership and facilitate relevant strategy development for the effective implementation of ICPS scheme;
3- Support development of annual state and district child protection plans in consultation and collaboration with the all concerned stakeholders;
4- Support in review and development of relevant guidelines, operational manuals, documents on child protection issues;
5- Develop proposals for strengthening of child protection system in Rajasthan;
6- Facilitate implementation of all laws and programs related to child protection;
7- Coordinate with all the DCPUs for implementing, supervising and monitoring all child protection activities pertaining to juveniles in conflict with law at State and District levels;
8- Coordinate and supervise training and capacity building programs for functionaries under ICPS at State and district levels;
9- Assessing the training needs of all functionaries (Government & NGOs) and allied systems, and assist in planning, coordination and implementation of all training and capacity building Programs at State levels;
10- Liaison with NIPCCD and its regional centres and other training institutions of the central/state governments for the purpose of training and capacity building at the state level;
11- Coordinate and supervise all IEC and advocacy initiatives on child protection at State and district levels;
12- Assessing the need for IEC materials and other necessary tools for effective implementation, monitoring and evaluation of all child protection programs at State and district levels in coordination with the DCPU;
13- Support the RSCPS in organizing and facilitating meetings with various committees, relevant line departments and other stakeholders on child protection and multi-sectoral issues;
14- Support documentation and dissemination of best practices on child protection in the state and facilitate cross learning on the same across districts;
15- Support the RSCPS in the preparation of quarterly and annual reports of RSCPS;
16- Facilitate dissemination of all guidelines, manuals etc. prepared by the RSCPS and DCR;
17- Identify areas where support is required from the CPSU and seek guidance on the same;
18- Coordinate with the CPSU, obtaining necessary approvals, inputs and feedback on activities and documents prepared under ICPS;
19- Liaison and coordinate with development agencies/Civil Society Organizations/NGOs etc. to ensure complementarity in efforts and explore possible avenues of engagement and support;
20- Any other activity, identified by the Chief Executive Officer, Rajasthan State Child Protection Society, as relevant to the ICPS;

IV. Deliverables

Scanned by CamScanner

The Program Officer will develop an annual work plan, listing specific activities, timelines and key deliverables, in consultation with the Deputy Director (ICPS), RSCPS. Performance of the Program Officer will be measured against such work plan and it will be updated every six months. Program Officer will submit monthly progress reports stating her/his accomplishments against the agreed work plan and also submit any other reports as required by the Chief Executive Officer, Rajasthan State Child Protection Society.

V. Qualifications, Experience and Skills.

Essential:

(i) Post Graduate Degree in Sociology, Social work, Psychology or L.L.B. (Law Graduate):
(ii) At least 5 years of progressively responsible professional work experience in planning, implementation and monitoring of child related programmes:
(iii) Excellent oral and written communication skills in English, Hindi and ability to converse in local language; and
(iv) Good computer skills (knowledge of Microsoft Office including MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint; net surfing, sending and receiving Emails).

VI. Duration and Type of Contract

The position of Program Officer is purely on contract basis for a period of 3 years. An annual performance appraisal at the every year will determine extension of the contract for next 2 years.

VII. Reporting arrangements

The Program Officer will report to officials as prescribed by Chief Executive Officer, Rajasthan State Child Protection Society.

VIII. Remuneration and Payment terms

The consolidated remuneration of the Program Officer will be Rs. 26,250/- per month. Travel allowance, daily allowance and other cost incidental to the travel undertaken by the Program Officer will be reimbursed as per the FD order no. F.1(4)FD/Rules/2011 Pt. 11 dated June 27, 2014 and as amended from time to time. Other issues including gratuity, leave and annual appraisal will also be guided by the same FD order.

Scanned by CamScanner